प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्ताईस'

[7/12/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1629]

परिशिष्ट - क

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1629

प्रपत्र-"क"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1629 द्वारा श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	कार्यादेश का दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधानुसार तिथि	प्रश्न दिनांक तक किया गया कार्य	कार्य पर कार्यरत् प्रभारी शासकीय सेवकों के नाम एवं पदनाम	प्रभारी शासकीय सेवकों द्वारा कार्य पर किये निरीक्षण के दिनांक	संबंधित शासकीय प्रभारियों द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन	भवन निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में प्रभारी शासकीय सेवकों द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जिला कटनी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का निर्माण कार्य।	300.00 लाख	19/05/2014	विन्ध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी सतना	15/09/2014	18/09/2015	मुख्य भवन -फिनिसिंग, बाउड्रीवाल -आंशिक भाग शेष, पहुँच मार्ग -अप्रारंभ, ड्राइविंग ट्रेक-अप्रारंभ	श्री ए.के.चौधरी-संभागीय परियोजना यंत्री (19.05.2014 से 05.08.2014 तक) श्री एस.के.यादव-संभागीय परियोजना यंत्री (05.08.2014 से आज दिनांक तक) श्री आर.के.तिवारी-परियोजना यंत्री (15.07.2014 से 12.02.2015). श्री डी.के.मिश्रा-परियोजना यंत्री ((1) 19.05.2014 से 15.07.2014 तक (2) 12.02.2015 से 03.06.2015 तक (3) 11.04.2016 से 16.08.2016 तक). श्री ए.के.मिश्रा-परियोजना यंत्री ((1) 03.06.2015 से 03.04.2016 तक (2) 17.08.2016 से आज दिनांक तक). श्री पी.एल.चनपुरिया-सहायक परियोजना यंत्री ((1) 19.05.2014 से 02.06.2015 तक (2) 04.04.2016 से आज दिनांक तक). श्री यशवंतराम अवढ़रिया-सहायक परियोजना यंत्री (03.06.2015 से 03.04.2016 तक)	श्री एस.के.यादव (15-10-14, 30-10-14, 17-11-14, 28-11-14, 01-12-14, 12-03-15, 17-03-15, 30-03-15, 02-05-15, 16-06-15, 20-02-16, 05-03-16, 28-03-16, 13-05-16,) श्री आर.के.तिवारी (23-08-14, 15-10-14, 17-10-14, 30-10-14, 06-11-14, 13-11-14, 17-11-14, 28-11-14, 01-12-14, 03-12-14) श्री डी.के.मिश्रा (12-03-15, 14-03-15, 17-03-15, 20-03-15, 23-03-15, 30-03-15, 07-04-15, 10-04-15, 18-04-15, 01-05-15, 02-05-15, 23-05-15, 25-05-15, 01-06-15, 12-06-15, 16-06-15, 05-05-16, 20-05-16, 22-05-16, 24-05-16, 30-05-16, 05-06-16, 28-06-16, 01-07-16, 04-07-16, 19-07-16) श्री ए.के.मिश्रा (23-06-15, 26-09-15, 20-11-15, 04-02-16, 05-03-16) श्री यशवंतराम अवढ़रिया (23-08-14, 15-10-14, 17-10-14, 30-10-14, 06-11-14, 13-11-14, 20-11-14, 28-11-14, 01-12-14, 03-12-14,23.06.15, 26.09.15, 20.11.15, 28.12.15, 09.01.16, 20.01.16, 04.02.16, 20.02.16,. 31.03.16, 03.04.16, 07.04.16) श्री पी.एल.चनपुरिया (28-11-14, 12-01-15, 18-01-15, 27-01-15, 14-03-15, 20-03-15, 23-03-15, 30-03-15, 07-01-15, 23-05-15, 25-05-15, 01-06-15, 12-06-15, 05-05-16, 24-05-16, 30-05-16, 05-06-16, 07-06-16, 13-06-16, 17-06-16, 24-06-16, 01-07-16, 04-07-16, 09-07-16, 11-07-16) उक्त तिथियों साईट आर्डर बुक में विशेष टीप दर्ज करने की हैं। इसके अलावा सतत् निरीक्षण विभागीय अगले द्वारा किया जाता हैं।	साईट आर्डर बुक की छायाप्रति संलग्न हैं।	(1) संभागीय परियोजना यंत्री, कटनी के पत्र क.124, दिनांक 19.08.2014, पत्र क. 301 दिनांक 20.10.2014, पत्र क. 413 दिनांक 21.11.2014, के द्वारा ठेकेदार की धीमी प्रगति के लिए धारा 3 सी की नोटिस दी गई एवं पत्र कमांक 223 दिनांक 20.03.2015, पत्र क. 580 दिनांक 20.07.2015, पत्र कमांक 958 दिनांक 23.10.2015, पत्र क. 574 दिनांक 23.05.2016 को शोकाज नोटिस दिया गया। (2) संभागीय परियोजना यंत्री, कटनी के पत्र कमांक 476 दिनांक 08.12.2014, धारा 3 सी में टर्मिनेट किया गया। इस कार्यालय का पत्र क. 446 जबलपुर दिनांक 03.03.2015 के द्वारा ठेकेदार के कार्य पूर्ण करने के आश्वासन एवं संभागीय परियोजना यंत्री की अनुशंसा के आधार पर अनुबंध पुर्नजीवित किया गया। संभागीय परियोजना यंत्री, कटनी के पत्र क. 1134 दिनांक 23.11,2015, के द्वारा पुनः धारा 3 सी में टर्मिनेट किया गया। इस कार्यालय के पत्र क. 3959 जबलपुर दिनांक 29.12.2015 के द्वारा ठेकेदार के कार्य पूर्ण करने के आश्वासन एवं संभागीय परियोजना यंत्री की अनुशंसा के आधार पर पुनः अनुबंध पुर्नजीवित किया गया। संभागीय परियोजना यंत्री के पत्र क.842 दिनांक 18.07.2016 को धारा 3 सीं में पुनः टर्मिनेट किया गया एवं पत्र क. 864 दिनांक 22.07.2016 के द्वारा ठेकेदार के पंजीयन को काली सूची में डालने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया। 03. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6226 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा मेसर्स विन्ध्या कन्स्ट्रक्शन कंपनी सतना को काली सूची में डाला गया हैं ।	
	बैलेंस वर्क		05/11/2016	जी.एस.कान्सट्रक्शन कटनी	05/11/2016	04/11/2017	प्रगति पर					

अतिरिक्त परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. जबलपुर

परियोजना संचालक

https://mail.google.com/_/scs/mail-static/_/js/k=gmail.main.en.yQSQ...
idhan sabha 1629 004.jpg

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1629 73

कार्यालय कलेक्टर, जिला – कटनी (म0प्र0)

क्रमांक/13473 /रा0मो0शाखा/2016 कटनी, दिनांक 22/10/2016

निरीक्षण कार्यवाही विवरण

मेरे व्दारा आज दिनांक 22.10.2016 को कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी एवं अनुविभागीय अधिकारी, परियोजना कियान्वयन ईकाई लोक निर्माण विभाग कटनी तथा अतिरिक्त परिवहन अधिकारी, कटनी के साथ में निर्माणधीन अतिरिक्त परिवहन कार्यालय के भवन का निरीक्षण किया गया है।

निरीक्षण के दौरान कई छज्जे स्वतः गिरे पाये गये । दीवारें इतनी कमजोर थी कि हाथों से ईंट बांहर निकल रही थी । हाल ही में प्लास्टर होना बताया गया किन्तु कई स्थानों पर प्लास्टर में भी क्रेक आना पाया गया है।

अतिरिक्त परिवहन अधिकारी कटनी व्दारा बताया गया कि उन्होने बारिस में पूरी छत से पानी रिसना पाया था ।

उपस्थित कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी को निर्देश दिये गये कि तत्काल एक टीम बनाकर उक्त भवन के निर्माण कार्य की पूरी जांच करें तथा भवन का जो भाग गुणवत्ता पूर्ण नहीं है, उसे रिजेक्ट कर पुनः बनवायें ।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी व्दारा बताया गया कि सबंधित ठेकेदार ब्लेक लिस्ट हो गया है । लेकिन तब भी कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी को निर्देश दिये गये कि संम्बधित ठेकेदार पर अनुबंध के प्रावधानों के तहत् प्रतिभूति राशि राजसात करने तथा घटिया निर्माण कार्ग की राशि बसूलने की भी कार्यवाही करें । यदि पी0आई0यू0 कटनी के किसी इंजीनियर व्दारा उक्त कार्यों का मूल्यांकन गुणवत्ताहीन होने के बाद भी किया गया है तो सम्बधिंत इंजीनियर पर भी कार्यवाही प्रस्तावित करें ।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी को यह भी निर्देश दिये गये कि ईंट की तथा प्लास्टर हटाकर कुछ भागों की रैडंम जांच भी लैब में भेजकर करायें ।

कार्यपालन यंत्री, परियोजना कियान्वयन इंकाई, सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे जिससे स्पष्ट है कि वे लोक सभा निर्वाचन की आचार संहिता के प्रभावशील रहते हुये भी बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय में नहीं हैं। जिलां निर्वाचन शाखा कार्यपालन यंत्री, परियोजना कियान्वयन इकाई पर कार्यवाही करें ।

उक्त समितिं अपना प्रतिवेदन अधिकतम दस दिन में अनिवार्य रूप से देवें ।

कलेक्टर
जिला–कटनी (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/ 13474 /रा0मो0शाखा/2016 कटनी, दिनांक 22/10/2016

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन , लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2– कमिश्नर जबलपुर , संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3– उप जिला निर्वाचन अधिकारी , कटनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी की ओर पालनार्थ।
5– कार्यपालन यंत्री, परियोजना कियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग कटनी को सूचनार्थ।
6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)कटनी को सूचनार्थ।
7– अतिरिक्त परिवहन अधिकारी कटनी ।

कलेक्टर
जिला–कटनी (म0प्र0)

परिशिष्ट 'ग' 97

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1629

(अतिरिक्त)

संक्षेपिका

विषयः— परिवहन कार्यालय भवन निर्माण।

विधानसभा तांराकित प्रश्न कमांक 1629 द्वारा श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल।

विधानसभा प्रश्न कमांक 1629 कटनी जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय भवन का कार्यादेश मेसर्स विध्यां कान्सट्रक्शन कंपनी सतना को दिनांक 19.05.2014 को दिया गया था एवं निर्माण कार्य 18.09.2015 को पूर्ण होना था। भवन निर्माण कार्य दिनांक 15.09.2014 को प्रारंभ किया गया एवं प्रश्न दिनांक तक रुपये 73.84 लाख का कार्य किया गया। ऑलमोज ग्लोबल इन्फ्रा कंसल्टेट (एस.क्यू. सी.), संभागीय परियोजना यंत्री, परियोजना यंत्री, सहायक परियोजना यंत्री एवं अतिरिक्त परियोजना संचालक जबलपुर के द्वारा भी समय—समय पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिया संलग्न हैं। (1) भवन निर्माण के संबंध में संभागीय परियोजना यंत्री कटनी के पत्र क.124, दिनांक 19. 08.2014 , पत्र क. 301 दिनांक 20.10.2014 , पत्र क. 413 दिनांक 21.11.2014, के द्वारा ठेकेदार की धीमी प्रगति के लिए धारा 3 सी की नोटिस दिया गया। कार्यालयीन पत्र कमांक 231 दिनांक 20.03. 2015, पत्र क. 580 दिनांक 20.07.2015, पत्र कमांक 999 दिनांक 23.10.2015, पत्र क. 574 दिनांक 23. 05.2016 को शोकाज नोटिस दिया गया। (2) संभागीय परियोजना यंत्री कटनी के पत्र कमांक 476 दिनांक 08.12.2014, धारा 3 सी में प्रथम बार टर्मिनेट किया गया। इस कार्यालय के पत्र क. 446 जबलपुर, दिनांक 03.03.2015 के द्वारा अनुबंध पुर्नजीवित किया गया। संभागीय परियोजना यंत्री कटनी के पत्र क. 1132, दिनांक 23.11.2015 के द्वारा दूसरी बार धारा 3 सी में टर्मिनेट किया गया। इस कार्यालय के पत्र क. 3959 जबलपुर दिनांक 29.12.2015 के द्वारा ठेकेदार के कार्य पूर्ण करने के आश्वासन एवं संभागीय परियोजना यंत्री के आधार पर अनुबंध पुर्नजीवित किया गया। संभागीय परियोजना यंत्री कटनी के पत्र क. 850, दिनांक 18.07.2016 को धारा 3 सी में पुनः तीसरी बार टर्मिनेट किया गया। संभागीय परियोजना यंत्री कटनी के पत्र क. 864 दिनांक 22.07.2016 के द्वारा ठेकेदार के पंजीयन को काली सूची में डालने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया। इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 6226 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा उन्हें काली सूची में डाला गया हैं । कलेक्टर कटनी द्वारा दिनांक 22.10.2016 को किये गये निरीक्षण में जिन छज्जों का उल्लेख किया गया है, उन्हें पूर्व में ही अमान्य कर दिया गया था, चूकिं निर्माण का वह भाग ड्राइंग अनुसार आकार में नहीं था। जिसे ठेकेदार द्वारा डिसमेन्टल किया जा रहा था, उसी समय ठेकेदार का अनुबंध भी निरस्त कर दिया गया, अनुबंध निरस्त होते ही ठेकेदार द्वारा डिसमेंटल कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। साथ ही प्रथम तल के प्रसाधन के पार्टीशन वॉल तथा कुछ भाग प्लॉस्टर अनुबंध निरस्तीकरण के समय ही किया गया था, उसकी तराई का कार्य भी नहीं हो पाया जिस कारण से इस भाग का माप भी दर्ज नही किया गया। अतः निर्माण के इन प्रभावित भाग को तोड़कर पुनः निर्मित किया जा रहा हैं। ठेकेदार के हर्जे—खर्चे पर निविदा आमंत्रित की गयी एवं नये ठेकेदारे को निविदा स्वीकृत उपरांत दिनांक 05.11.2016 को कार्यादेश दिया गया। निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

अतिरिक्त परियोंजना संचालक
लो.नि.वि.पी.आई.यू.जबलपुर (म.प्र.)

परियोजना संचालक
लो.नि.वि., पी.आई.यू. म.प्र. भोपाल